प्रार्थना पत्र 14(5)

मु० न० 62/2021

उनवान

तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम रामोतार वगै०

रैफरेन्स अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 14(5)

उपस्थित :- श्री होशियार सिंह बडसरा - वकील अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 24-7-2023

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 14(5) के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया है कि ग्राम अजीतगढ में भूमि ख० न० 1872 रकबा 0.44 है० किस्म बारानी 3 वर्तमान जमाबंदी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में रामौतार पुत्र मुरलीधर, बशीधर पुत्र प्रभुदयाल के नाम से गैर खातेदारी अंकित है। नियमन / आवंटन जरिये ख० न० 1872 रकबा 0.44 है० मे से रामोतार बशीधर निवासी अजीतगढ के नाम से रकबा 0.44 [illegible] दिनांक 18-[illegible] 2001 को होकर गैर खातेदारी [illegible] दर्ज डयी थी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:10:50 IST
Reason: SelfAttested

----2---

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कि धारा 16 में वर्णित है जिस पर आवंटन नियमन से खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। आवंटी द्वारा - आवंटन शर्तों कि पालना नही कि गई है। आवंटित भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 4 (v) (च) के अन्तर्गत आवंटन योग्य नही होने से आवंटन खारीज योग्य है। अतः आवंटन खारीज किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं जरिये नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये वकील उप० आये एवं जरिये वकील जवाब पेश कर जवाब के विशेष कथन में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने कि गर्ज से पेश किया गया है। भूमि के पुराने ख० न० 1872 रकबा 0.44 है० राजस्व ग्राम अजीतगढ में स्थित है। उक्त भूमि का स्वामित्व प्रथम सेटलमेन्ट के समय राज्य सरकार के नाम से दर्ज होकर किस्म बारानी राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई। उत्तरदाता भूमिहीन रहे है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थीगण का आवंटन आवेदन सर्वसमिति से स्वीकार किया गया। दिनांक 18-10-2001 को भूमि ख० न० 1872 रकबा 0.44 है० बारानी तत्कालीन पटवारी हल्का कि सिफारिश रिपोर्ट के आधार पर आवंटित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय आज भी प्रभावी है। आवंटन नियम 13 A की पालना में हुआ है। उक्त भूमि आवंटित होने के पश्चात समतल व उपजाऊ स्वंय की मेहनत व खर्चे से काश्त करके फसल पैदावार कर अपनी जीविकोपार्जन किया जाता रहा है। उक्त भूमि के पुराने ख० न० 994 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा राजस्व ... दर्ज हुए। आवंटन आदेश दिनांक ... की पालना में नामान्तकरण सं 983 दिनांक 5-...-2008 द्वारा गैर खातेदारी मे दर्ज होकर बंशीधर व रामौतार के नाम

--- 3 ---

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:10:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

रिकार्ड में अंकन हुआ। गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये जाने हेतु कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 18 (1) में स्पष्ट किया है। तहसीलदार स्वप्रेरणा से आवंटन तिथि से तीन वर्ष पश्चात आवंटी को खातेदारी अधिकार प्रदान किया जावें। उक्त भूमि से गैर खातेदारी व खातेदारी अधिकारो से वन्चित करने कि नियत से शिकायत व रिर्पोट कर्ताओ द्वारा मिथ्या दस्तावेज तैयार किये गये। उक्त भूमि के तारबंदी कि हुई है। आवासीय मकान बना रखे है। अत: प्रकरण में आपत्ति पेश कर निवेदन है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज किया जावें।

उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध आवंटन आदेश कि फोटो प्रति के अवलोकन से पाया गया कि अप्रार्थीगण के पक्ष में भूमि ख० न० 1872 किस्म बा० आयम मे से भूमि आवंटन हुयी है। उस वक्त भूमि कि किस्म बारानी आयद थी। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट मय कमिशन्‍वा सहित जो दिनांक 29.10.20 को पेश कि गई है। जिसमें क्र० सं० 1 से 7 बिन्दुओ के सम्बन्ध में रिर्पोट करनी चाहिए थी परन्तु समस्त बिन्दुओ बाबत रिर्पोट नही कि गई है। जिससे प्रस्तुत रिर्पोट अधूरी है। पत्रावली में उपलब्ध नामान्तकरण कि प्रति के अवलोकन से पाया गया कि अप्रार्थीगण के नाम से गैर खातेदारी दर्ज कर दिनांक 5-4-2008 को नामा० स्वीकृत किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा जो रिर्पोट की गई है जिससे यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण के नाम भूमि आवंटन हुई है तथा भूमि पर अप्रार्थीगण का [illegible] है। प्रार्थी द्वारा उक्त आवंटन खारीज [illegible] बताया है परन्तु इसमें कही भी स्पष्ट [illegible] गया है कि किस बिन्दु पर आवंटन खारीज योग्य है। उक्त भूमि कि किस्म आवंटन के समय पर भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:10:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

बारानी कोयम रिकार्ड में दर्ज थी जिस बाबत भी कही अंकन नही किया है कि भूमि कि किस्म बारानी कोयम आवंटन योग्य है या नही। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन कि शर्तों कि पालना नही कि है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट में आवंटन शुदा भूमि पर आवंटीयो का कब्जा काश्त होना बताया है एवं पटवारी हल्का द्वारा जो रिर्पोट पेश कि गई है जिसमें भी सभी बिन्दुओ के बाबत स्पष्ट उल्लेख नही किया है जिससे सन्देह प्रद स्थिति प्रतीत होती है। पटवारी हल्का द्वारा अपनी अभिशंषा रिर्पोट जो दिनांक 29-10-2020 को पेश कि गई है जिसमें बिन्दु सं 3 के बाबत कोई उल्लेख नही किया गया है। इन सभी बिन्दुओ एवं मौका स्थिति का स्पष्ट उल्लेख प्रार्थी द्वारा किया गया हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नही है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट भी अधुरी है। इससे यह प्रतीत होता है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसमें सम्बंधित समस्त राजस्व रिकार्ड का गहनता से अवलोकन नही किया गया है जो किया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा मौके पर आवंटी का कब्जा है या नही इस बाबत भी कोई स्पष्ट उल्लेख नही किया गया है। अप्रार्थीगण को उक्त भूमि दिनांक 18-10-2001 को आवंटन हुई थी। प्रार्थी द्वारा आवंटन निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 15 (5) के तहत पेश किया गया है जो लगभग 22 वर्ष के बाद पेश किया गया एवं यो भी सभी बिन्दुओ की गहनता से जांच किये बिना पेश किया गया है। ....5....

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:10:50 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

Scanned with OKEN Scanner

इस आधार पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 15(5) का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 15(5) का साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र से सम्बंधित राजस्व रिकार्ड का गहनता से अवलोकन कर एवं मौके कि स्पष्ट जांच कर पुन: नियमानुसार कार्यवाही करें।

उक्त आदेश आज दिनांक 24-7-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर)

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:10:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner